बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक 1573/प्रशा./2010 भोपाल दिनांक 18/11/10
23-11-10

विज्ञापन

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के निम्नांकित स्व–वित्तीय विभागों/विषयों में रिक्त पदों के विरूद्व 6 माह के लिये संविदा के आधार पर व्याख्याताओं को रखा जाना है। इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन–पत्र सादे कागज पर दो पासापोर्ट साईज के छाया चित्रों के साथ आमंत्रित किये जाते है एवं आवेदन पत्रों के साथ रू. 300/– सामान्य श्रेणी तथा एसी.सी. ,एस.टी. एवं ओ.बी.सी. के लिए रू. 150/– मात्र का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा । निर्धारित दिनांक 16/12/.2010 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

1–सी0आर0आई0एम0 :–अनारक्षित– 03, एससी0–01, एस.टी.–01, ओ.बी.सी.–01

2–मेजर ध्यानचंद **शारीरिक शिक्षा विभागः–** अनारक्षित– 03, एससी0–01, एस.टी.–01, ओ.बी.सी.–01

उपरोक्त संविदा नियुक्तियां किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। इसके पश्चात किसी भी तरह का दावा मान्य नही होगा । शैक्षणिक योग्यता :– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/एनसीटीई द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मान्य होगी। मानदेय विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा तथा अन्य शर्ते विश्वविद्यालय की बेवसाईड www.bubhopal.nic.in पर देखी जा सकती हैं।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

दस्तावेज

अन्य शर्ते :—

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।

(2) समस्त संलग्न प्रमाण पत्र एवं छाया चित्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है। लिफाफे पर विज्ञापन कमांक , दिनांक तथा आवेदित पद का उल्लेख करना अनिवार्य है ।

(3) पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है। एक से अधिक पदो के लिये आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों को अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

(4) पदों को भरना या न भरना पूर्णतः विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार होगा ।

(5) यदि किसी आवेदक के विरूद्व किसी भी न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हो , विचाराधीन हो या पुलिस में कोई प्रकरण पंजीवद्व हुआ हो तो इसका पूर्ण विवरण एवं न्यायालयीन निर्णय की जानकारी शपथ पत्र में देना अनिवार्य है ।

(6) चयन प्रकिया विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी ।

(7) विभागीय कर्मचारी यदि निर्धारित पात्रता रखते है तो वे अपने विभागीय अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते है ।

(8) निशक्तजनों / महिला अभ्यार्थियों के लिये म0प्र0 शासन के नियमानुसार पद आरक्षित रहेंगे ।

(9) साक्षात्कार की सूचना आवेदक विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट www.bubhopal.nic.in से देख सकत हैं । पात्र अभ्यार्थियों को डाक द्वारा भी सूचना भेजी जावेगी ।

(10) साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा ।

(11) प्रथम नियुक्ति 6 माह की होगी । कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के नियमानुसार 6 माह के कालखण्ड में यह सेवा अधिकतम तीन वर्ष तक वृद्धि की जा सकती है ।

(12) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी को अनुबंध पत्र भरना होगा ।